रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 1996/आश्विन 17, 1918
No. 578] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 1996/ASVINA 17, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
INDIA

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1996

का.आ. 703.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उप-धारा (1) (ग) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 5 की उप धारा (1) और (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री एन. के. सिंह के स्थान पर श्री सी. रामचन्द्रन, सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय को 3 वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती।

[सं.एफ. 4-41/96यू.-I]
सुदीप बैनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 1996

S.O. 703(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) (a) of section (5) read with sub-section (1) (c) of Section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri C. Ramachandran, Secretary (Expenditure) in the Ministry of Finance, to be a member of the University Grants Commission for a term of 3 years vice Shri N.K. Singh.

[No. F.4-41/96-U.I]
SUDEEP BANERJEE, Jt. Secy.

2473 GI/95 Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of P[illegible] D[illegible]-11[illegible]4 — 1[illegible]